न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट,फतेहाबाद, आगरा
उपस्थित :तरूण कुमार अग्रवाल, न्यायिक सेवा
दण्डवाद संख्या : 1139/2016

CNR no.

I.D,No-U.P.2497

राज्य प्रति

1. नेकराम पुत्र बहोरी लाल
2. चम्पाराम पुत्र भंमर सिंह
3. नैमीचन्द पुत्र नेकराम
4. शेरा उर्फ शेर सिंह पुत्र भंमर सिंह
   समस्त निवासीगण वीधापुरा थाना बसई अरेला जिला आगरा।
   अपराध सं0– 106/2013
   अन्तर्गत धारा– 323,324,504,506,भा0दं0सं0
   थाना–बसई अरेला, जिला आगरा।

निर्णय

1. पुलिस थाना बसई अरेला जिला आगरा द्वारा अभियुक्तगण नेकराम, चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत अन्तर्गत धारा– 323,324,504,506,भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत करते हुए विचारण किया गया है।

2. लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.2013 को समय करीब शाम 6.30 बजे सुबह प्रार्थी व प्रार्थी की मॉ जब अपने खेत पर जुताई कर रहे थे तभी आप लोग नेकराम, नेमीचन्द, शेरा उर्फ शेर सिंह तथा चम्पाराम एक राय होकर आये तथा आप लोग प्राथी से कहने लगे कि ये खेत मेरे है यहां जुताई मत करो जब प्राथी व प्राथी की मॉ ने इसका विरोध किया तो आप लोगों ने उनको लाठी डण्डों से मारपीठ की गाली गलौज की। विपक्षीगण जाते समय जान से मारने की धमकी दे गये कि यदि तूने हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देंगे। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करें।

3. उक्त रिपोर्ट पर थाना बसई अरेला आगरा पर अभियोग मु0 अ0 संख्या 106/2013 अन्तर्गत अन्तर्गत धारा– 323,324,504,506,भा0दं0सं0 में पंजीकृत किया गया, तथा मामले की विवेचना उप निरीक्षक आर. के. सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के अनुक्रम में वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा विवेचना की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण नेकराम, चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत अन्तर्गत धारा– 323,324,504,506,भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 323,324,504,506,भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5. अभियेाजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू–1 अशोक कुमार तथा पी0डब्लू–2 राजवती को परीक्षित कराया गया है। वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं अभियेाजन की संस्तुति पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

6. अभियुक्तगण की ओर से अभियेाजन प्रपत्र,नकल जी0डी0 नक्शा नजरी व आरोप पत्र की प्रमाणित औपचारिक रूप से स्वीकार की गयी।, तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

7. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने

प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य पेश करने से इंकार किया।

8. मैंने विद्वान अभियोज अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया।

09. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–1 वादी मुकदमा अशोक कुमार जो कि घटना का वादी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.07.2013 को समय शाम 5.00 बजे अपने खेत पर जुताई करवा रहे थे। उसी समय गॉव के नेकराम ने मुझे अपने खेत पर बुलाया वहां कहा सुनी हो गयी कहा सुनी के दौरान हमारी माताजी को लाठी से मारा और साथ ही नेमीचन्द, शेरा उर्फ शेर सिंह और चम्पाराम ने मारपीठ करते हुए गाली गलौज करने लगे, तभी वहां भीड़ भाड़ इक्क्ठी हो गई। तो ये लोग वहां से जाते समय जान से मारने की धमकी देकर चले गये कि यदि कोई कार्यवाही की तो जान से मार देंगे।

10. इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी तो इस साक्षी ने अपनी जिरह में अपने ही बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 से इंकार किया तथा कथन किया कि दरोगा जी को उसने ऐसा कोई बयान नही दिया था कैसे लिख लिया वह उसकी बजह नहीं बता सकता। मुल्जिमान मेरे ही गॉव के हैं। मैं इन्हें जानता हूॅ। दिनांक 29.07.2013 को समय शाम 5.00 बजे अपने खेत पर जुताई करवा रहे थे तभी मेरी मॉ व नेकराम मे कहा सुनी हो रही थी तो वहां काफी भीड़–भाड़ इक्ट्ठी हो गई थी। तथा मुझ को फिसलने की वजह से चोटे आई थी मोंके पर उपस्थित लोगों ने मुल्जिमानों के नाम नेकराम, चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह बताये थे। मुल्जिमान नेकराम, चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह ने उसके व उसकी मॉ के साथ कोई मारपीट गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। मुल्जिमानों से उसका राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने की बजह से वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही हो।

11. अभियोजन द्वारा अपना केस साबित करने के लिये गवाह पी0डब्लू–2 राजवती को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक दिनांक 29.07.2013 को समय शाम 5.00 बजे अपने खेत पर जुताई करवा रहे थे। उसी समय नेकराम ने हमें अपने खेत पर बुलाया वहां किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई वहां पर चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह भी मौजूद थे। इन लोगों ने हमारे साथ मारपीठ की जिसमें मुझे चोटें आई हैं गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शोरगुल होने पर वहां भीड़ इक्कठी हो गई तो ये लोग वहां से चले गये।

12. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि। दिनांक 29.01.2020 को सायं 5 बजे मेरा लड़का खेत पर कार्य कर रहा था। नेकपाल ने हमे अपने खेत पर बुलाया जहां किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई शोरगुल सुनकर काफी भीड़–भाड़ इक्कठी हो गई थी, तथा मुझको फिसलने की वजह से चोटे आई थी । अभियुक्तगण नेकराम चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह ने उसके साथ कोई मारपीठ नहीं की ना हीं गाली गलौज की है, ना ही मैंने कोई बयान दिये है। मुलजिमानों के नाम कैसे लिख लिये मुझे नहीं पता। हमारा अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने की बजह से वह न्यायालय मे सही बात नहीं बता रही है।

13. इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू–1 वादी मुकदमा अशोक ने अपनी मुख्य परीक्षा में तो अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है किन्तु जब

बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी तो पीड़ित पी0डब्लू–1 ने साफतौर जिरह में कथन किया है कि अभियुक्तगण नेकराम चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह ने उसे घटना में कोई चोटें नही पहूॅचाई और न ही उनके द्वारा उससे मारपीट की गयी और न ही गाली गलौज करते हुये उसे जान से मारने की धमकी दी। वादी ने अपने ही बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 से इंकार किया है, कि उसके द्वारा कोई बयान नही दिया गया और न ही उसने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान ही दिया था कैसे लिख लिया वह बजह नहीं बता सकती।

14. गवाह पी0डब्लू–2 राजवती ने भी अपनी प्रति परीक्षा में घटना से इंकार किया है,तथा कथन किया है कि अभियुक्तगण नेकराम, चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह ने राजवती को कोई मारपीट नहीं किया और न ही मारपीट कर उसे चोटें पहूॅचाई और न ही गाली गलौज किया ।

15. इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से मारपीट व गाली गलौज करने व जान से मार दिये जाने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है। क्योंकि साक्षियों द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अपने मुख्य परीक्षा के बयानों का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसे में अभियोजन साक्षीगण के बयानों से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

16. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं उक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण नेकराम चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 323,324,504,506,भा0दं0सं0 के आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण नेकराम चम्पाराम, नैमीचन्द, तथा शेरा उर्फ शेर सिंह को अन्तर्गत अन्तर्गत धारा– 323,324,504,506,भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त करते हुये प्रतिभूगण को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 437ए के अन्तर्गत अभियुक्तगण उपरोक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण मु0 20,000/–रूपये के नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू छः–छः माह की अवधि के लिये इस आशय का प्रस्तुत करेंगे कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध अपील योजित की जाती है तो वह अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस के अनुपालन में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

sd/-
दिनांक : 07.01.2020
(तरूण कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद
आगरा

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया

sd/-
दिनांक : 07.01.2020
(तरूण कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद
आगरा